दिनांक- 20.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 591/26

महोबा पुलिस

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ग्राम रैपुरा में जनचौपाल लगाकर छात्रों एवं ग्रामीणों से संवाद किया गया, सुनीं समस्याएं, दिए आवश्यक निर्देश...।

दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली महोबा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रैपुरा के ग्रामीणों एवं स्कूली छात्रों द्वारा गांव को जोड़ने वाली सड़क की खराब स्थिति, गड्ढों एवं जलभराव की समस्या को लेकर प्रातः करीब 09.00 बजे झांसी-मिर्जापुर (कुलपहाड़-महोबा) हाईवे पर जाम लगा दिया गया था। सूचना पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों एवं छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया। आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के उपरान्त करीब 10.00 बजे जाम समाप्त कर यातायात सुचारू कराया गया।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 20.08.2026 को जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा ग्राम रैपुरा पहुंचकर जनचौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों एवं स्कूली छात्रों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया।

जनचौपाल के दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों एवं छात्रों से यह भी संवाद किया गया कि सड़क एवं जलभराव से सम्बन्धित समस्या के संबंध में पूर्व में प्रशासन को अवगत क्यों नहीं कराया गया। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि जनसमस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन सदैव संवेदनशील एवं तत्पर है तथा किसी भी समस्या की जानकारी सीधे सम्बन्धित अधिकारियों को दी जा सकती है। वहीं, हाईवे पर सड़क जाम किए जाने से यातायात बाधित होने के साथ-साथ एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं एवं अन्य राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भविष्य में समस्याओं के समाधान हेतु संवाद एवं वैधानिक माध्यमों का सहारा लेने की अपील की गई। इस पर ग्रामीणों एवं छात्रों द्वारा सड़क जाम किए जाने की घटना को अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने की बात कही गई तथा प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखने पर सहमति व्यक्त की गई।

इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा सड़क की खराब स्थिति एवं जलभराव के कारण विद्यालय आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों, मौके पर पुलिस बल के आचरण के संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्रों की समस्याओं को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनते हुए उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु मौके पर मौजूद सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा छात्रों एवं ग्रामीणों को समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया गया।

संवाद/जनचौपाल कार्यक्रम में छात्रों एवं ग्रामीणों द्वारा बताई गई विभिन्न समस्याओं को बिन्दुवार नोट किया गया, जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। जनपद में जनसंवाद एवं जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुनकर उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

महोबा पुलिस

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 592/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 20.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 593/26

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व आत्मनिर्भरता का संदेश

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण):- डर से सुरक्षा तक, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक – हर कदम नारी के सम्मान में महोबा पुलिस !

"बेटियों के हौसले को मिला नया आसमान, मिशन शक्ति से जाग उठी पहचान।"

मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद की समस्त थाना पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों, स्कूल/कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों—181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला शक्ति लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) एवं 1076 (पुलिस कंट्रोल रूम) के बारे में अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया, जिसमें POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी शामिल रही।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक मजबूत करना है।

महोबा पुलिस द्वारा समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 594/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित म0उ0नि0 मालती साहू व उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त देवेन्द्र राजपूत पुत्र जयसिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा सम्बन्धित सीपी नंबर 17585/2023 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियक्त उपरोक्त को ग्राम जैलवारा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

देवेन्द्र राजपूत पुत्र जयसिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मालती साहू
2. उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 595/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार की देखरेख में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा व उ0नि0 लालबहादुर के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र चन्दन यादव उम्र 41 वर्ष निवासी नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 459/2014 अ0सं0 1412/2014 धारा 323/324/504 भादवि0 में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम नैपुरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गौरीशंकर उर्फ गोरे पुत्र हरिया अहिरवार निवासी ग्राम टोलापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद संख्या 967/2018 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम टोलापांतर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.भूपेन्द्र पुत्र चन्दन यादव उम्र 41 वर्ष निवासी नैपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2.गौरीशंकर उर्फ गोरे पुत्र हरिया अहिरवार निवासी ग्राम टोलापांतर थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

प्रथम पुलिस टीम- 1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा 2. उ0नि0 श्री लालबहादुर

द्वितीय पुलिस टीम-1.वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल 2.रि0कां0 नितिन कनौजिया

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 596/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा
01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य मय हमराह कां0 विशाल कुमार सिंह व म0कां0 नीलू देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4(2) पॉक्सो अधि0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त भारत राजपूत पुत्र घनश्याम राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम घिसल्ली थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भारत राजपूत पुत्र घनश्याम राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम घिसल्ली थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य चौकी प्रभारी धवर्रा थाना अजनर
2. रि0कां0 विशाल कुमार सिंह
3. रि0म0कां0 नीलू देवी

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 597/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा व उ0नि0 राम रक्षा सिंह मय हमराह कां0 महेन्द्र कुमार मौर्य व कां0 अमर द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त योगेन्द्र प्रजापति उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम मवइया थाना अजनर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

योगेन्द्र प्रजापति उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 कृष्ण मुरारी मिश्रा
2.उ0नि0 राम रक्षा सिंह
3.कां0 महेन्द्र कुमार मौर्य
4.कां0 अमर द्विवेदी

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 598/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 नरेन्द्र कुमार मय हमराह कां0 कुलदीप शुक्ला, कां0 उमेश कुमार व कां0 संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त भूपेन्द्र राजपूत पुत्र रामपाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम दादरी पोस्ट दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 140/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपेन्द्र राजपूत पुत्र रामपाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम दादरी पोस्ट दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी नगाराघाट
2.कां0 कुलदीप शुक्ला
3.कां0 उमेश कुमार
4.कां0 संदीप कुमार

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 599/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 नरेन्द्र कुमार मय हमराह कां0 संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त प्रेमलाल पुत्र कुँवर लाल राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 1311/2021 मु0अ0सं0 180/19 धारा 60 आवकारी अधि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

प्रेमलाल पुत्र कुँवर लाल राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार (चौकी प्रभारी नगाराघाट) थाना पनवाडी,महोबा ।

2.कां0 संदीप कुमार थाना पनवाडी जनपद महोबा ।

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 600/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपये के इनामियां वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में वांछित/वारंटी एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय हमराह कां0 राघवेन्द्र कुमार व कां0 विशाल जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2025 धारा 305(C) बीएनएस से संबंधित ₹25,000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त उवेश पुत्र निसरत, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम गनीमत नगर उर्फ सिहाली, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम परथनिया पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

उवेश पुत्र निसरत, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम गनीमत नगर उर्फ सिहाली, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा

2.कां0 राघवेन्द्र कुमार

3.कां0 विशाल जायसवाल

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 602/26

महोबा पुलिस

पुलिस की पाठशाला में छात्र-छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनांक 20.08.2026 को राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला के तत्वाधान में थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत जनतंत्र इंटर कॉलेज, कस्बा कुलपहाड़ में "पुलिस की पाठशाला" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली एवं पुलिस सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं।

जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव तथा NCRP पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस सहायता हेतु महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 112 (पुलिस सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन), 102 (एम्बुलेंस सेवा) आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं को सुनते हुए उन्हें साइबर अपराध के प्रति सतर्क रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस की सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

"पुलिस की पाठशाला" कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं में सुरक्षा, साइबर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं पुलिस के प्रति विश्वास की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं द्वारा सराहा गया।

दिनांक- 20.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 601/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 02 अदद बैटरियां बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण तथा चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना कबरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी गए माल की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया था।

गठित पुलिस टीम में सम्मिलित उ0नि0 रोशन गुप्ता मय हमराह कां0 दीपक कुमार एवं कां0 राहुल कुमार द्वारा आज दिनांक 20.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर छंगा तिराहा के पास थाना कबरई, जनपद महोबा से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ई-रिक्शा से चोरी की 02 अदद नीले रंग की EASTMAN कंपनी की बैटरियां बरामद की गईं। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मुन्नालाल पुत्र परमेश्वरी दयाल कुशवाहा, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी मोहल्ला जवाहरनगर, कबरई, थाना कबरई, जनपद महोबा।

2.कालीचरन पुत्र रज्जू कुशवाहा, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी मोहल्ला राजीवनगर, कबरई, थाना कबरई, जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

ई-रिक्शा से चोरी की गई 02 अदद नीले रंग की EASTMAN कंपनी की बैटरियां।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 रोशन गुप्ता

2.कां0 दीपक कुमार

3.कां0 राहुल कुमार